तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सुभाष बनाम कन्हैयालाल** **अपील संख्या 2022/416**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.04.26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट का दौराने बहस कथन रहा है कि प्रकरण तलबी हेतु नियत है तथा प्रकरण में पक्षकारान में आपसी समझाईस से सुलह होने के कारण अपीलान्ट प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है और उक्त अपील को इसी स्तर पर विड्रो करना चाहता है। अतः अपील निस्तारण की जा़कर विड्रो फरमाई जावें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपीलार्थी स्वयं ही अपनी अपील को विड्रा कर खारिज करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील को विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(वे.सरवण कुमार)** संभागीय आयुक्त, जयपुर।	